न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना(नागौर)

पीठासीन अधिकारी : बिहारी लाल मीणा, आर०ए०एस०

अपील संख्या 70/2018

1—ओमा राम पुत्र चुनाराम जाति नायक निवासी विश्वनाथपुरा तहसील लाडनुं जिला नागौर

..............अपीलान्ट

बनाम

1— तहसीलदार लाडनूं जिला नागौर राज0

..............रेस्पोडेन्ट

उपस्थित अधिवक्ता—

1—श्री महावीर प्रसाद गुर्जर एवं श्री विकम कुड़ी अधिवक्ता अपीलान्ट

अपील अर्न्तगत धारा 75 एल.आर.एक्ट विरुद्ध निर्णय तहसीलदार लाडनूं बअनुवान राज0सरकार जरिये पटवारी हल्का, सुनारी बनाम ओमाराम मु0 नं0 68/18 अन्तर्गत धारा 91 एल.आर. एक्ट दिनांक 11.09.2018

निर्णय   दिनांक 23.01.2019

अपीलान्ट की ओर से निम्न अपील पेश है :—

1. यह है कि प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि पटवारी हल्का सुनारी ने दिनांक 06.07.2018 को इस आशय की रिपोर्ट पेश की है कि अप्रार्थी श्री ओमाराम पुत्र श्री चुनाराम जाति नायक निवासी विश्वनाथपुरा तहसील लाडनूं जिला नागौर राज0 ने खसरा नम्बर 304 रकबा 00.03 बीघा किस्म गैर मुमकिन

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

... पर मकान व दिवार बनाकर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया है ... अतिक्रमी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया।

पटवारी हल्का, सुनारी की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी कर तलब किया गया। अप्रार्थी को नोटिस तामील होकर प्राप्त हुआ, जो शामिल मिसल है। पटवारी हल्का से निर्धारित प्रपत्र मे रिपोर्ट प्राप्त की गई, जो कि शामिल पत्रावली की गई।

हमने हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का भली–भातिं अध्ययन एवम अवलोकन किया ,ग्राम विश्वनाथपुरा के खसरा नम्बर 304 किस्म गै0 मु0 गौचर रकबा 00.03 बीघा भूमि पर **ओमा राम पुत्र श्री चुनाराम** जाति **नायक** निवासी विश्वनाथपुरा तहसील लाडनू जिला नागौर राज0 द्वारा गौचर की भूमि पर अतिक्रमण किया है। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया गया कि **ओमाराम पुत्र** चुनाराम जाति नायक निवासी विश्वनाथपुरा द्वारा पूर्व मे अतिक्रमण किये जाने पर रा0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधानों का उल्लंघन किये जाने पर न्यायालय तहसीलदार लाडनू मे मु0 न0 68/2018 दर्ज कर नियमानुसार निर्णय दिनांक 11.09.2018 (सरकार बनाम ओमाराम) मे अतिक्रमी माना जाकर बेदखल किये जाने व सम्वत् 2075 की लगान दर 0.45 रूपये का 50 गुणा जुर्माना 04 रूपये के आदेश पारित किये है।

इस प्रकार उक्त अतिक्रमी माना जाकर धारा 91 एल आर एक्ट मे प्रदत्त शक्तियों के अनुसार अप्रार्थी को खसरा सं0 304 किस्म गै0 मु0 गौचर रकबा 00.03 बीघा भूमि से बेदखल किये जाने का आदेश दिया गया है। इस निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी यह अपील निम्न आधार पर प्रस्तुत करता है:–

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

–: अपील के आधार :–

1. यह है कि योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय अधिन अपील पारित करने में कानूनी एवंम वाक्याती भूल की है, अतः निर्णय अधिन अपील अपास्त किये जाने योग्य है।
2. यह है कि योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के विपरीत निर्णय अधिन अपील पारित करने में कानूनी एवंम वाक्याती भूल की है, अतः निर्णय अधिन अपील अपास्त किये जाने ेग्य है।
3. यह है कि योग्य अधिन्स्थ न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत न्यायालय के सामान्य सिद्धान्तों की अवहेलना करते हुए निर्णय अधिन अपील पारित करने में धोर त्रुटि की है, अतः निर्णय अधिन अपील अपास्त किये जाने योग्य है।
4. यह है कि योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने किसी प्रकार की कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं मिली है तथा न ही पटवारी हल्का के बयान कलमबद्ध किये है। तथा अपीलान्ट/प्रार्थी को साक्ष्य सबुत का अवसर भी नहीं दिया है, इस कारण अपीलाधीन निर्णय अपास्त किये जने योग्य है।
5. यह है कि अपीलार्थी को न्यायालय तहसीलदार लाडनूं द्वारा पक्ष रखने का कोई अवसर नहीं दिया गया ना ही पटवारी हल्का द्वारा पटवारी रिपोर्ट अपीलार्थी के समक्ष बनाई तथा ना ही अपीलार्थी के हस्ताक्षर करवाये गये है। इस कारण अपीलाधीन निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।
6. यह है कि अपीलार्थी द्वारा जिस स्थान पर अतिक्रमण करना बताया गया है उक्त स्थान पर अपीलान्ट के रहवासीये मकानात पूर्वजों के समय से ही बने हुये है, तथा बीजली पानी के कनैक्शन भी ले रखे है, जो वर्षो पुराने है तथा स्थानीय प्रशासन ग्राम पंचायत, सुनारी द्वारा उक्त खसरा खसरा नम्बर 304 में आबादी विस्तार के लिये जिला कलक्टर नागौर को भी आबादी भूमि के लिये भूमि के आवंटन हेतु भी निवेदन किया हुआ है जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी का उक्त थान पर किसी प्रकार से अतिक्रमण न होकर साधिकार

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

से काबिज होकर रहवास करते आ रहे है। जिससे भी अधिनस्थ न्यायालय का आदेश अधीन अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

कि अपीलार्थी खसरा नम्बर 304 की भूमि में पिढियों से अपने रहवासी मकान कर रहा है तथा अपने रहवासी मकानात में बिजली पानी जैसी सुविधाओं के कनैक्शन भी संबंधित विभागों से ले रखे है। जिससे भी अधीन आदेश अपास्त किये जाने योग्य हैं ।

अपीलान्ट के पास उक्त रहवासीये मकानात के अलावा अन्य कोई मकान व जायगा ग्राम विश्वनाथपुरा में उपलब्ध नहीं है, एक मात्र स्थान में बने मकानात ही रहवास का स्थान है जहाँ से अपीलार्थी को उचित कारण के ही बेदखल कर दिया जाता है अथवा वर्षों की मेहनत की कमाई से बनाये गये रहवासीय मानात को तोड़ फोड़ कर जाता है तो अपीलार्थी उसके परिवार खुले आसमान के नीचें जीवनापन के लिये मजबुर हो जावेगें। जिस पर भी अधिनस्थ न्यायालय ने कोई नहीं कर उक्त आदेश पारित किया है, जिससे उपरोक्त कार्यवाही अपीलान्ट के विरूद्ध ड्रोप किया जाना न्याय हित में है।

है कि हल्का पटवारी ने भौतिक रूप से मौके पर बिना कोई नाप चौक नजरना तौर पर अतिक्रमण रिपोर्ट बनाकर अपीलान्ट के विरूद्ध धारा के तहत कार्यवाही करने की अनुशंषा की है, जो मौके पर बिना कोई रूप से नाप चौक किये ही तहसीलदार महोदय के समक्ष रिपोर्ट कर दी, जिससे उपरोक्त अधिनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त किये योग्य है।

है कि मौके पर अपीलार्थी द्वारा उपर वर्णित खसरे में किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया गया है। इस कारण अपीलाधीन निर्णय अपास्त जाने योग्य है।

कि अन्य उजरात वर वक्त बहस अर्ज किये जावेगें।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

...ा है कि अपील श्रीमान के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार की है व अन्दर ...द पेश है।

अतः अपील अपीलार्थी मय शपथपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है किया है ... दिनांक 11.09.18 को पारित आदेश व निर्णय जैर अपील को अपास्त व ...स्त फरमाये जाने की कृपा करावे।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने यह अपील दिनांक 11.10.18 को प्रस्तुत की ... को दिनांक 15.10.18 को दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट को जरिये ... तलब किया गया। दिनांक 16.11.18 को अधिनस्थ न्यायालय ...लदार लाडनूं द्वारा प्रेषित रिकॉर्ड इस न्यायालय को प्राप्त हुआ जो ... मिसल किया गया ।

अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयीं। पत्रावली पर ... रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा ...रखनाथपुरा के खसरा नम्बर 304 रकबा 31.06 बीघा में से 0.03 बीघा ... गोचर पर दिवार बनाकर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने पर ... को न्यायालय नायब तहसीलदार लाडनूं द्वारा अतिक्रमी घोषित कर ... से बेदखल किया गया तथा धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम 1956 ... जुर्माना रूपये 04/-- अक्षरे रूपये चार का अर्थदण्ड आरोपित किया ... बेदखली के आदेश दिये गये।

अपीलान्ट ने अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार लाडनूं को दिया ...जवाब में बताया कि सुनवाई के वगैर निर्णय किया गया है तथा ...न्ट ने जवाब में बताया कि मुतनाजा भूमि पर रहवासीये मकानात ही ... का स्थान है। तथा वर्षो की खून पसीने की कमाई से बनाये गये ... मकानत को तोड़फोड़ कर दिया जाता है तो गैर सायल व उसका ... आसमान के नीचे जीवनयापन करने के लिये मजबूर होंगे। अतः ... करने का निवेदन किया किया है।

...रिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

गोचर भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आराजी है। जिसमें धारा 16 आर. के तहत उक्त भूमि पर किसी प्रकार के खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं है तथा न ही गोचर भूमि पर ग्राम पंचायत द्वारा आवादी का पटटा जारी किया जा सकता है। तथा यह भी साबित नहीं होता कि अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है, क्योकि अपीलान्ट द्वारा दिनांक 9.8.18 को अपना जवाब पेश किया जो शामील पत्रावली है। तथा जवाब के साथ अपीलान्ट द्वारा ऐसा कोई सबूत पेश नही किया जिससे यह साबित होता हो कि अतिक्रमण नही किया हो। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 11.09.18 को किया गया निर्णय विधि सम्मत है।

:::: आ दे श ::::

अतः अपीलान्ट की अपील खारीज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 11.09.18 बहाल रखा जाता है।

(बिहारी लाल मीणा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक 23.01.2019 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बिहारी लाल मीणा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)